

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)

के अंतर्गत

बाधामुक्त वातावरण सृजन (CBFE)

योजना के दिशा-निर्देश

बाधामुक्त वातावरण सृजन योजना

1.1 पृष्ठभूमि

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, गरिमा, स्वतंत्रता और समान अवसर की गारंटी देता है। दिव्यांगजन अन्य नागरिकों के समान आधार पर इन अधिकारों का आनंद लेने के पात्र हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, न्याय, शासन, मनोरंजन और सार्वजनिक जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक सुगम्य भौतिक, डिजिटल और सामाजिक वातावरण का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सुगम्यता को दुनिया भर में समावेशन और सतत विकास के आवश्यक स्तंभों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार कन्वेंशन (UNCRPD) के तहत प्रमुख दायित्वों में से एक है, जिसका भारत पक्षकार देश (स्टेट पार्टी) है।

इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 बनाया, जो सरकारों और सार्वजनिक प्राधिकरणों को निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणालियों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और सभी सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं में सुगम्यता सुनिश्चित करने का अधिदेश देता है।

1.2 योजना का मूल्यांकन

भारत सरकार दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना के विभिन्न घटकों के तहत 1999 से सुगम्यता से संबंधित कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के बाद, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक अवसंरचना में सुगम्यता उपायों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस योजना को विस्तारित विधिक फ्रेमवर्क के साथ संरेखित किया गया था।

सिपडा के तहत बाधामुक्त वातावरण सृजन (CBFE) घटक देश भर में सुगम्यता हस्तक्षेपों का समर्थन करने के लिए मुख्य वित्तीय सहायता तंत्र के रूप में विकसित हुआ है।

1.3 सुगम्य भारत अभियान

दिव्यांगजन के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के लिए 3 दिसंबर 2015 को एक राष्ट्रव्यापी मुख्य पहल के रूप में सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया था।

यह अभियान तीन प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित था:

- (i) निर्मित वातावरण में सुगम्यता;
- (ii) परिवहन प्रणाली में सुगम्यता; और
- (iii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) इकोसिस्टम में सुगम्यता।

इस अभियान ने सुगम्यता के बारे में जागरूकता को काफी हद तक बढ़ाया और देश भर में सरकारी भवनों, परिवहन अवसंरचना और डिजिटल प्लेटफार्मों में सुगम्यता उपायों के कार्यान्वयन को सुगम्य बनाया।

सुगम्यता पहलों की निरंतरता सुनिश्चित करने, योजनाओं के दोहराव से बचने और एक एकीकृत कार्यान्वयन फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए, सुगम्य भारत अभियान के उद्देश्यों, गतिविधियों और हस्तक्षेपों को 31 मार्च 2024 से सिपडा के बाधामुक्त वातावरण सृजन (सीबीएफई) घटक में समाहित कर लिया गया है। तदनुसार:

(क) सुगम्य भारत अभियान को अब एक अलग कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित नहीं किया जाएगा।

(ख) सभी सुगम्यता हस्तक्षेप अब से सिपडा के सीबीएफई घटक के तहत किए जाएंगे।

(ग) 31.03.2024 से पहले सुगम्य भारत अभियान के तहत स्वीकृत परियोजनाएं अपने संबंधित स्वीकृतियों के निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होती रहेंगी। हालांकि, ऐसी परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली प्रतिबद्ध देनदारियों को निधियों की उपलब्धता और स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन के अधीन, सिपडा के सीबीएफई घटक के तहत पूरा किया जाएगा।

2. उद्देश्य

पात्र सरकारी एजेंसियों को सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में एक बाधामुक्त, सुरक्षित, समावेशी और सार्वभौमिक रूप से सुगम्य वातावरण बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकें और दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में पूरी तरह और प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। योजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) मौजूदा सार्वजनिक भवनों और सुविधाओं को सुगम्य बनाने के लिए उनके रेट्रोफिटिंग को सुगम्य बनाना;

(ख) सार्वजनिक स्थानों, परिवहन इंटरफेस, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, कार्यस्थलों, मनोरंजन स्थलों और हेरिटेज साइटों में सुगम्यता को बढ़ावा देना;

(ग) सरकारी वेबसाइटों, मोबाइल एप्लिकेशन और डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं सहित सुगम्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का समर्थन करना;

(घ) सभी सुगम्यता हस्तक्षेपों में यूनिवर्सल डिज़ाइन को बढ़ावा देना;

(ङ) सुगम्यता परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन, मॉनिटरिंग और रखरखाव के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करना;

(च) धार्मिक स्थलों, हेरिटेज स्मारकों, संग्रहालयों, परिवहन टर्मिनलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और सार्वजनिक सेवा वितरण केंद्रों सहित हार्ड-फुटफॉल वाले सार्वजनिक स्थानों में सुगम्यता में सुधार करना;

(छ) दिव्यांगजनों के लिए विशेष मनोरंजन केंद्रों का निर्माण / पार्कों का विकास जहाँ समुचित सरकारों / स्थानीय प्राधिकरणों की अपनी भूमि है और मौजूदा पार्कों और अन्य शहरी अवसंरचना में बाधा-मुक्त मानक प्रदान करना।

(ज) नई योजनाओं / परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए सहायता।

(झ) अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अन्य गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता जिसके लिए विभाग की मौजूदा योजनाओं द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है / कवर नहीं की जा रही है।

3. पात्र कार्यान्वयन एजेंसियां

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के अंतर्गत बाधामुक्त वातावरण सृजन (सीबीएफई) घटक का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं के निर्माण का समर्थन करना है। इसलिए, योजना के तहत वित्तीय सहायता केवल सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार पात्र सरकारी एजेंसियों और संस्थानों को प्रदान की जाएगी।

क) योजना के तहत सहायता -अनुदान (GIA) केवल उन सार्वजनिक परिसंपत्तियों में सुगम्यता हस्तक्षेपों के लिए स्वीकार्य होगी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट अन्य पात्र सार्वजनिक प्राधिकरणों के स्वामित्व में हैं, उनके द्वारा प्रबंधित, नियंत्रित या बड़े पैमाने पर वित्त पोषित हैं।

ख) योजना के तहत वित्तीय सहायता भारत सरकार को सृजित परिसंपत्तियों पर कोई स्वामित्व अधिकार प्रदान नहीं करेगी। परिसंपत्तियों का स्वामित्व, संचालन, रखरखाव और देखरेख कार्यान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी।

ग) कार्यान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि योजना के तहत सृजित सुगम्यता विशेषताएँ परिसंपत्ति के पूरे जीवनकाल में कार्यात्मक स्थिति में बनी रहें और विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसी विशेषताओं को हटाया, बदला या बंद न किया जाए।

3.1 कार्यान्वयन एजेंसियां

- i. केंद्रीय और राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन: भारत सरकार के मंत्रालय/स्वायत्त निकाय/संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/संवैधानिक प्राधिकरण/सांविधिक प्राधिकरण/केंद्रीय सरकारी संगठन।
- ii. शैक्षणिक संस्थान: केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज, स्कूल और तकनीकी संस्थान।
- iii. स्वास्थ्य देखभाल संस्थान: सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष अस्पताल।
- iv. खेल अवसंरचना: सरकारी स्टेडियम, खेल परिसर, सार्वजनिक स्विमिंग पूल और सार्वजनिक इंडोर स्टेडियम।
- v. सांस्कृतिक संस्थान: संग्रहालय, आर्ट गैलरी, सभागार और सांस्कृतिक केंद्र।
- vi. पर्यटन और हेरिटेज: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक, राज्य-संरक्षित स्मारक, हेरिटेज इमारतें, हेरिटेज संग्रहालय, पर्यटक इंटरप्रेटेशन केंद्र और सार्वजनिक पर्यटक सुविधाएं।
- vii. धार्मिक स्थल: मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, बौद्ध मठ, जैन मंदिर और पूजा के अन्य सार्वजनिक स्थल, बशर्ते कि:

क. वह स्थान आम जनता के लिए खुला हो;

ख. प्रस्ताव राज्य सरकार या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित हो;

ग. स्वामित्व और रखरखाव की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से स्थापित हों; और

घ. सुगम्यता हस्तक्षेप सार्वजनिक पहुंच वाले क्षेत्रों तक सीमित हों और उनमें ऐसी धार्मिक या औपचारिक संरचनाएं शामिल न हों जो आम तौर पर जनता के लिए खुली नहीं होती हैं।

नोट: वर्तमान वित्त आयोग चक्र के दौरान, हाई-फुटफॉल वाले पर्यटन और हेरिटेज स्थलों तथा धार्मिक स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

3.2 स्वामित्व की शर्तें

वित्तीय सहायता केवल वहीं स्वीकार्य होगी जहाँ:

- (i) भूमि और भवन सरकार के स्वामित्व में हों; या
- (ii) भूमि/भवन सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित किसी स्वायत्त निकाय का हो; या
- (iii) सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंधन किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता हो; या
- (iv) संपत्ति सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने वाले सरकार-वित्तपोषित संस्थान की हो।

कार्यान्वयन एजेंसी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले स्वामित्व या कानूनी कब्जे का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

3.3 सामान्य शर्तें

परियोजनाओं की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

- परियोजना किसी मौजूदा सार्वजनिक परिसर में स्थित होनी चाहिए।
- हस्तक्षेप सीधे तौर पर सुगम्यता में सुधार करना चाहिए।
- कार्य लागू सुगम्यता मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
- कार्यान्वयन एजेंसी को दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करना होगा।
- परियोजना तकनीकी रूप से व्यावहारिक और वित्तीय रूप से सुव्यवस्थित होनी चाहिए।
- कार्यान्वयन एजेंसी को काम शुरू करने से पहले सभी सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने होंगे।
- परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

4. विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना

एक अच्छी तरह से तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन और स्वीकृति का आधार बनती है। इसलिए, प्रत्येक प्रस्ताव उचित परिश्रम के साथ, तकनीकी मूल्यांकन के समर्थन में और इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। योजना के तहत प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव में:

- क. स्पष्ट रूप से पहचानी गई सुगम्यता बाधाओं का समाधान किया जाना चाहिए;
- ख. सुगम्यता लेखा परीक्षक (एक्सेसिविलिटी ऑडिट) पर आधारित होना चाहिए;
- ग. समय-समय पर सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए तैयार किए गए सुगम्यता मानकों के अनुरूप होना चाहिए;
- घ. तकनीकी रूप से व्यावहारिक और वित्तीय रूप से सुव्यवस्थित होना चाहिए;
- ङ. किसी अन्य योजना के तहत वित्त पोषित कार्यों के दोहराव से बचना चाहिए;
- च. टिकाऊ सुगम्यता समाधान प्रदान करने चाहिए; और
- छ. दिव्यांगजन द्वारा स्वतंत्र उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

DPR पर कार्यान्वयन एजेंसी के प्रमुख और **अवर सचिव** (कार्य)/सक्षम तकनीकी अधिकारी या समकक्ष अधिकारी (कार्यकारी अभियंता के रैंक से नीचे का नहीं) के हस्ताक्षर होने चाहिए।

- सुगम्यता मानक के तहत विचाराधीन वस्तुओं की सूची **अनुबंध-क** में दी गई है।
- विस्तृत परियोजना प्रस्ताव में शामिल की जाने वाली वस्तुओं की सूची **अनुबंध-ख** में दी गई है।
- नए प्रस्ताव और चल रही (ऑनगोइंग) परियोजना के लिए आवेदन पत्र **अनुबंध-ग** में रखा गया है।

क. वित्तीय सहायता, वित्त पोषण पैटर्न और सहायता - अनुदान जारी करना

योजना के तहत वित्तीय सहायता स्वीकृत सुगम्यता हस्तक्षेपों के लिए पात्र कार्यान्वयन एजेंसियों को सामान्यतः सहायता – अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। विभाग कार्यान्वयन एजेंसी की श्रेणी, धन की उपलब्धता, परियोजना की प्रकृति और सक्षम प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर परियोजनाओं को पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्त पोषित कर सकता है। अनुदान-सहायता में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- सिविल सुगम्यता कार्य;
- सुगम्यता से सीधे संबंधित विद्युत कार्य;
- यांत्रिक कार्य;
- सुगम्य लिफ्ट;
- सुलभ शौचालय;
- ब्रेल साइनेज;
- स्पर्शनीय फर्श (टेक्टाइल फ्लोरिंग);
- सुगम्य रास्ते;
- श्रवण संवर्धन प्रणालियाँ (हियरिंग एनहांसमेंट सिस्टम);
- आईसीटी (ICT) सुगम्यता;
- डिजिटल सुगम्यता;
- सुगम्यता प्रमाणन;
- जियो-टैगिंग; और स्वीकृत दायरे से परे किया गया कोई भी व्यय पूरी तरह से कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उठाया जाएगा।

ख. लागत वृद्धि

परियोजना लागत में कोई स्वतः वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। यदि स्वीकृति के बाद, निम्नलिखित में से किसी भी कारण से परियोजना की लागत बढ़ती है, तो इसे सामान्यतः कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा:

- दरों की अनुसूची में परिवर्तन;
- विनिर्देशों का संशोधन;
- बाजार में उतार-चढ़ाव; या
- डिजाइन संशोधन।

नोट: विभाग कार्यान्वयन एजेंसी से उपयुक्त औचित्य प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से असाधारण परिस्थितियों में ही संशोधन पर विचार कर सकता है।

ग. सहायता - अनुदान

सहायता – अनुदान सामान्यतः तीन किस्तों में जारी की जाएगी:

- i. वित्तीय स्वीकृति और नियमों तथा शर्तों की स्वीकृति के बाद स्वीकृत अनुदान का 25% से 50% तक की पहली किस्त जारी की जाएगी;
- ii. स्वीकृत अनुदान का 40% से 65% तक की दूसरी किस्त निम्नलिखित के बाद जारी की जाएगी: .

- क. पहली किस्त का कम से कम 75% उपयोग;
- ख. उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना;
- ग. कम से कम 50% होने वाली भौतिक प्रगति;
- घ. प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना; और
- ङ. जियो-टैग की गई तस्वीरें।

- iii. स्वीकृत राशि की शेष 10% की अंतिम किस्त निम्नलिखित के बाद जारी की जाएगी:

- क. कार्य पूरा होना;
- ख. अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र;
- ग. पूर्णता प्रमाण पत्र;
- घ. सुगम्यता अनुपालन प्रमाण पत्र;
- ङ. अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट;
- च. जियो-टैग की गई तस्वीरें; और

घ. फंड का उपयोग

अनुदान-सहायता का उपयोग विशेष रूप से स्वीकृत परियोजना के लिए किया जाएगा, निधियों का डायवर्जन (अन्यत्र उपयोग) स्वीकार्य नहीं होगा। अनुदान-सहायता पर अर्जित ब्याज सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार निपटाया जाएगा।

ङ. अनुदान जारी करने पर रोक और स्वीकृति का निरस्तीकरण

विभाग निम्नलिखित मामलों में सहायता – अनुदान को आगे जारी करने पर रोक लगा सकता है:

- क. उपयोग प्रमाण पत्र लंबित हैं;
- ख. प्रगति असंतोषजनक है;
- ग. निरीक्षण में गंभीर कमियां पाई गई हो;
- घ. निधियों का अन्यत्र उपयोग देखा गया हो;
- ङ. गलत जानकारी दी गई हो;
- च. सुगम्यता मानकों का पालन नहीं किया गया हो; या
- छ. वैध औचित्य के बिना पिछली स्वीकृतियां अधूरी हों।

विभाग के पास निम्नलिखित मामलों में स्वीकृति रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है:

- क. निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना शुरू नहीं हुई हो;

- ख. निधियां बिना उपयोग किए रह गई हो;
- ग. परियोजना छोड़ दी गई हो;
- घ. गलत जानकारी का पता चला हो;
- ङ. सांविधिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किए गए हों; या
- च. कार्यान्वयन एजेंसी स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करती हो।

5. परियोजनाओं का मूल्यांकन, समीक्षा, अनुमोदन और स्वीकृति

क. प्रारंभिक संवीक्षा

योजना के तहत प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव का व्यापक और वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक निधि का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और योजना के अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। प्रस्ताव प्राप्त होने पर, विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक संवीक्षा करेगा कि यह सभी दृष्टियों से पूर्ण है और इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता है। संवीक्षा में कार्यान्वयन एजेंसी की पात्रता का सत्यापन, संपत्ति का स्वामित्व या कानूनी कब्जा, निर्धारित दस्तावेजों की पूर्णता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), लागत अनुमान, तकनीकी चित्र (ड्रॉइंग), और संबंधित प्रशासनिक विभाग की सिफारिश शामिल होगी।

प्रारंभिक संवीक्षा के दौरान कोई भी कमी, विसंगति या चूक पाए जाने पर, प्रस्ताव को सुधार के लिए या निर्धारित समय के भीतर अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को वापस किया जा सकता है। केवल सभी दृष्टियों से पूर्ण पाए गए प्रस्तावों पर ही आगे के मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

ख. साइट निरीक्षण

विभाग, जहां भी आवश्यक समझा जाए, किसी परियोजना की स्वीकृति से पहले साइट निरीक्षण कर सकता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां वित्तीय निहितार्थ 7.00 करोड़ रुपये से अधिक है या जहां तकनीकी सत्यापन आवश्यक माना जाता है। साइट निरीक्षण मौजूदा सुगम्यता बाधाओं, प्रचलित साइट स्थितियों, प्रस्तावित हस्तक्षेपों की तकनीकी व्यवहार्यता, अनुमानित फुटफॉल, लाभार्थी प्रोफाइल, और सुगम्यता सुधारों की समग्र आवश्यकता का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाएगा।

ग. परियोजना जांच (स्क्रीनिंग) समिति

विभाग योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों के विस्तृत मूल्यांकन के लिए एक परियोजना स्क्रीनिंग समिति (PSC) का गठन करेगा। समिति में संयुक्त सचिव या अपर सचिव अध्यक्ष के रूप में, CCPD और विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय संस्थानों से तकनीकी/सुगम्यता विशेषज्ञ के रूप में दो प्रतिनिधि, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक प्रतिनिधि, और संबंधित निदेशक या उप सचिव सदस्य सचिव के रूप में शामिल हो सकते हैं। प्रशासनिक या तकनीकी आवश्यकताओं के आधार पर विभाग द्वारा समय-समय पर समिति के गठन में संशोधन किया जा सकता है।

परियोजना स्क्रीनिंग समिति प्रत्येक प्रस्ताव की विस्तार से जांच करेगी और सभी प्रासंगिक तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार करने के बाद, प्रस्ताव की सिफारिश कर सकती है, संशोधनों के साथ सिफारिश कर सकती है, साइट के पुनः निरीक्षण, तकनीकी संशोधन या प्रस्ताव को अस्वीकार करने की सिफारिश कर सकती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, निरंतरता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसकी सिफारिशों के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। एक बार प्रस्ताव की

सिफारिश हो जाने पर, प्रस्ताव को वित्त प्रभाग के परामर्श और स्वीकृत अनुदान-सहायता (GIA) को जारी करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

6. परियोजनाओं का कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग

कार्यान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सुगम्यता हस्तक्षेप समय पर, पारदर्शी, किफायती और गुणवत्ता-आश्वासित तरीके से, स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), लागू मानकों और स्वीकृति की शर्तों के अनुसार कड़ाई से कार्यान्वित किए जाएं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- क. स्वीकृत परियोजना का निष्पादन;
- ख. कार्य के स्वीकृत दायरे का पालन;
- ग. परियोजना का समय पर पूरा होना;
- घ. सुगम्यता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- ङ. निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखना;
- च. वित्तीय नियमों का पालन;
- छ. प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- ज. अनुबंध-घ के अनुसार उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना;
- झ. रिकॉर्ड का रखरखाव; और
- ञ. पूरी की गई सुगम्यता परिसंपत्तियों का संचालन और रखरखाव।

विभाग कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा दर्ज की गई किसी भी संविदात्मक दायित्वों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

क. कार्यान्वयन अनुसूची

परियोजनाएं सामान्यतः पहली किस्त जारी होने की तिथि से 18 महीनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। समय की वृद्धि स्वतः नहीं होगी और इसके लिए विभाग के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

ख. वस्तुओं और सेवाओं (Goods and Works) की खरीद

खरीद निम्नलिखित के अनुसार की जाएगी:

- सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017;
- सेवाओं की खरीद के लिए मैनुअल, 2022 (यथा संशोधित);
- वस्तुओं खरीद के लिए मैनुअल;
- परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए मैनुअल;
- सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल;
- सीवीसी दिशानिर्देश;
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम - GeM), जहां भी लागू हो; और
- राज्य खरीद नियम (राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए)।

सामान्यतः खुली और प्रतिस्पर्धी बोली अपनाई जाएगी।

ग. टेंडरिंग प्रक्रिया

कार्यान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि:

- टेंडर दस्तावेजों में सुगम्यता आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया हो;
- तकनीकी विनिर्देश समय-समय पर सार्वभौमिक सुगम्यता के लिए तैयार किए गए सुगम्यता मानकों के अनुरूप हों;
- लगाई गई बोली दस्तावेजों में गुणवत्ता मानकों को शामिल किया गया हो;
- पात्रता मानदंड पारदर्शी हों; और
- अनुबंध की शर्तों में रखरखाव और दोष दायित्व (डिफेक्ट लायबिलिटी) के दायित्व शामिल हों।

घ. रैंडम निरीक्षण

पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए, विभाग निम्नलिखित कारकों के आधार पर वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत कम से कम 25% परियोजनाओं का रैंडम निरीक्षण करेगा:

- परियोजना लागत;
- कार्यान्वयन में देरी;
- विभाग के संचार में देरी या उत्तर न देना;
- सार्वजनिक शिकायतें आदि।

ड. समीक्षा बैठकें

विभाग निम्नलिखित का मूल्यांकन करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें बुला सकता है:

- कार्यान्वयन प्रगति;
- वित्तीय उपयोग;
- परियोजना में देरी;
- हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले मुद्दे; और
- सर्वोत्तम प्रथाएं।

कार्यान्वयन एजेंसियां ऐसी बैठकों के दौरान सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करेंगी।

च. निष्पादन ग्रेडिंग विभाग निम्नलिखित के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए एक निष्पादन ग्रेडिंग प्रणाली बना सकता है:

- समय पर पूरा होना;
- कार्यान्वयन की गुणवत्ता;
- वित्तीय प्रबंधन;
- सुगम्यता मानकों का अनुपालन;
- रिपोर्ट प्रस्तुत करना; और
- पूरी की गई परिसंपत्तियों का रखरखाव।

भविष्य के प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय निष्पादन ग्रेडिंग पर विचार किया जा सकता है।

I. रिकॉर्ड का संरक्षण

कार्यान्वयन एजेंसी सभी परियोजना रिकॉर्ड का संरक्षण करेगी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR);
- अनुमान (इस्टिमेट);
- अनुबंध;
- बिल;
- वाउचर;
- माप पुस्तिकाएँ (मेजरमेंट बुक्स);
- निरीक्षण रिपोर्ट;
- उपयोग प्रमाण पत्र;
- पूर्णता प्रमाण पत्र;
- तस्वीरें; और
- सुगम्यता लेखा परीक्षक रिपोर्ट (एक्सेसिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट्स),

अनुबंध क

पात्र सुगम्यता घटक

योजना के तहत सुगम्यता हस्तक्षेपों को व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:

क. बाहरी सुगम्यता

सुगम्य पहुंच मार्ग, रैंप और पार्किंग

- सुगम्य रास्ते
- नॉन-स्लिप पेविंग (फिसलन-रोधी पक्का फर्श)
- कर्ब कट
- फ्लश क्रॉसिंग
- पैदल यात्री क्रॉसिंग (पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग)
- टेक्टाइल पाथवे (स्पर्शनीय रास्ता)
- नाली के कवर
- बोलार्ड
- ड्रॉप-ऑफ पॉइंट
- आरक्षित पार्किंग बे
- सुगम्यता का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक
- सुगम्य पार्किंग साइनेज
- कर्ब रैंप
- सुगम्य पैदल यात्री कनेक्शन
- एंटी-स्किड सतह (फिसलन-रोधी सतह)
- व्हील स्टॉप्स
- टेक्टाइल पाथवे (स्पर्शनीय रास्ते)
- सुगम्य फुटपाथ
- कर्ब रैंप
- आरसीसी रैंप
- स्टील रैंप
- मॉड्यूलर रैंप
- हैंडरेल्स (हथिये)
- दिशा सूचक संकेत
- ब्रेल साइन
- उभरे हुए अक्षरों वाला साइन
- भवन पहचान
- पार्किंग साइन
- आपातकालीन साइन
- सुगम्य मार्ग साइन

प्राथमिकता: पार्किंग सुगम्य प्रवेश द्वार के सबसे निकट स्थित होनी चाहिए।

तकनीकी आवश्यकताएँ

- सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुसार पसंदीदा ढलान।
- दोनों तरफ निरंतर हैंडरेल्स।
- निर्धारित अंतराल पर पर्याप्त लैंडिंग।
- फिसलन-रोधी फिनिश (स्लिप-रेसिस्टेंट फिनिश)।

इनडोर सुगम्यता

- स्वचालित दरवाजे
- सुगम्य दरवाजे
- देहरी हटाना (थ्रेशोल्ड हटाना)
- दरवाजे को चौड़ा करना
- डोर क्लोजर

रिसेप्शन क्षेत्र

- नीचा किया गया रिसेप्शन काउंटर
- व्हीलचेयर स्पेस
- कतार प्रबंधन
- एंटी-स्किड फर्श
- टेक्टाइल फर्श (स्पर्शनीय फर्श)
- चेतावनी संकेतक
- दिशात्मक संकेतक
- रंग विपरीतता (कलर कंट्रास्ट)

लिफ्ट

- यात्री लिफ्ट (पैसेंजर लिफ्ट)
- प्लेटफॉर्म लिफ्ट
- होम लिफ्ट (केवल जहाँ सार्वजनिक उपयोग शामिल हो)
- लिफ्ट आधुनिकीकरण
- सुगम्य लिफ्ट नियंत्रण
- ब्रेल बटन
- आपातकालीन संचार

सीढ़ियाँ

- हैंडरेल्स
- रंग विपरीतता (कलर कंट्रास्ट)
- टेक्टाइल वार्निंग स्ट्रिप (स्पर्शनीय चेतावनी पट्टी)
- एंटी-स्किड नोजिंग
- बेहतर प्रकाश व्यवस्था

सुगम्य शौचालय

- सुगम्य डब्ल्यूसी (WC)

- गैब बार
- आपातकालीन अलार्म
- सुगम्य वॉश बेसिन
- आधुनिक दरवाजे

सूचना और संचार सुगम्यता

- ब्रेल साइनेज
- उभरे हुए अक्षरों वाला साइनेज (रेस्ड लेटर साइनेज)
- ऑडियो सूचना प्रणाली
- सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली
- डिजिटल सूचना प्रदर्शन
- क्यूआर कोड आधारित मार्गदर्शन
- स्पर्शनीय मानचित्र
- दिशा-निर्देशन मानचित्र
- सुगम्य सूचना कियोस्क

मार्गदर्शन प्रणाली

- ब्रेल निर्देशिका
- भवन निर्देशिका
- मंजिल के मानचित्र
- इंटरैक्टिव कियोस्क
- श्रव्य मार्गदर्शन
- क्यूआर नेविगेशन

संवेदी पार्क

- संवेदी उद्यान
- स्पर्शनीय पथ
- सुगंध उद्यान
- संगीतमय स्थापनाएँ
- इंटरैक्टिव पैनल
- शांत स्थान
- सुगम्य बैठने की व्यवस्था
- सुगम्य मार्ग
- ब्रेल सूचना
- छाया संरचनाएँ
- दिशा-निर्देशन मानचित्र

विभाग का विवेकाधिकार

विभाग किसी भी ऐसे व्यय को भी अस्वीकृत घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो इस अध्याय में विशेष रूप से शामिल न किया गया हो, जहाँ:

- a. व्यय सीधे तौर पर सुगम्यता में योगदान नहीं करता है;
 - b. यह योजना के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है;
 - c. यह GFR, 2017 या अन्य सरकारी निर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है;
 - d. इसके परिणामस्वरूप निधि के दोहराव की स्थिति उत्पन्न होती है; या
 - e. यह वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण या अनुचित माना जाता है।
- ख. इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

अनुबंध-ख

डीपीआर की विषय-वस्तु

डीपीआर में निम्नलिखित शामिल होंगे:

कार्यकारी सारांश

- पृष्ठभूमि
- वर्तमान स्थिति
- परियोजना की आवश्यकता
- उद्देश्य
- अनुमानित लागत
- अपेक्षित लाभार्थी
- कार्यान्वयन अवधि

संगठन का परिचय

- संस्था का नाम
- स्वामित्व
- प्रशासनिक विभाग
- स्थापना वर्ष
- सेवाओं की प्रकृति
- प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या
- कर्मचारियों की संख्या
- आगंतुकों (विजिटर्स) की संख्या
- वर्तमान सुगम्यता की स्थिति

परियोजना का औचित्य

- मौजूदा बाधाएँ
- कानूनी दायित्व
- सार्वजनिक महत्व
- लाभार्थियों की संख्या
- लाभान्वित होने वाली दिव्यांगताओं की श्रेणियाँ
- हस्तक्षेप की तात्कालिकता

कार्य का दायरा

डीपीआर में निम्नलिखित को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा:

- सिविल कार्य
- विद्युत कार्य
- यांत्रिक कार्य
- आईसीटी सुगम्यता

- डिजिटल सुगम्यता
- संकेतक
- मार्गदर्शन
- शौचालय
- लिफ्ट
- पार्किंग
- आपातकालीन सुगम्यता

तकनीकी चित्रण

प्रस्ताव में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- साइट प्लान
- लेआउट प्लान
- मंजिल का प्लान
- रैंप का विवरण
- शौचालय का लेआउट
- पार्किंग का लेआउट
- लिफ्ट का लेआउट
- स्पर्शनीय लेआउट
- संकेतक योजना
- अनुभाग
- ऊँचाई के चित्र (Elevation)

अनुबंध-ग

नई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आवेदन प्रपत्र

भाग-क : सामान्य जानकारी

क्रम संख्या	विवरण	ब्यौरा
1.	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	
2.	एजेंसी किस श्रेणी/प्रकार के अंतर्गत आती है	
3.	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का नाम	
4.	डाक का पूरा पता	
5.	संस्था के प्रमुख का नाम एवं पदनाम	
6.	नोडल अधिकारी का नाम (संपर्क अधिकारी)	
7.	ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर	
8.	PFMS पंजीकरण आईडी	
9.	केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) मॉड्यूल के अंतर्गत लेन-देन-विशिष्ट खाता (TSA)	
10	शून्य शेष सब्सिडी खाता	

भाग-ख : परियोजना का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	ब्यौरा
1.	परियोजना का नाम	
2.	परियोजना का स्थान	
3.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
4.	जिला	
5.	सार्वजनिक सुविधा का प्रकार	
6.	संपत्ति का स्वामित्व, जिसमें निर्माण का वर्ष भी शामिल है	
7.	भवन/सुविधा का वर्तमान उपयोग	
8.	प्रतिदिन आने वाले लोगों की औसत संख्या	
9.	लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की अनुमानित संख्या	
10.	परियोजना की अवधि	
11.	क्या यह आकांक्षी जिले/सीमावर्ती क्षेत्र/LWE क्षेत्र में स्थित है (हाँ/नहीं); यदि हाँ, तो उसका विवरण	
12.	संवेदी पार्क/पैरा स्पोर्ट से संबंधित होने की स्थिति में, सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी	
13.	प्रमुख आवासीय क्षेत्र/मुख्य शहर से दूरी	
14.	प्रारंभिक लागत अनुमान तैयार करने में किस वर्ष की दरों की अनुसूची (SORs) का पालन किया गया और उसका विवरण	
15.	क्या परियोजना शुरू होने के बाद उसके कार्यान्वयन में कोई आवर्ती लागत शामिल है; यदि हाँ, तो उसका विवरण और उसके वित्तपोषण की व्यवस्था।	

भाग-ग : परियोजना की लागत

घटक	राशि (₹)
सिविल कार्य	
विद्युत कार्य	
यांत्रिक कार्य	
आईसीटी सुगम्यता	
संकेतक एवं मार्गदर्शन	
सुगम्य शौचालय	
रैंप एवं मार्ग	
लिफ्ट/एलिवेटर	
सहायक प्रौद्योगिकियाँ	
अन्य घटकों की सूची दें	
कुल परियोजना लागत	

भाग-घ : सुगम्यता एवं वित्तीय सहायता का विवरण

1. कुल परियोजना लागत : ₹ _____
2. अनुदान-सहायता के लिए अनुरोधित राशि : ₹ _____
3. कार्यान्वयन एजेंसी का योगदान : ₹ _____
4. वित्त पोषण का अन्य स्रोत (यदि कोई हो) : ₹ _____
5. मौजूदा सुगम्यता संबंधी बाधाएँ :
6. प्रस्तावित सुगम्यता संबंधी हस्तक्षेप:
7. दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों रूप से होने वाले लाभों का विवरण:
8. क्या सुगम्यता ऑडिट किया गया है? ☐ हाँ ☐ नहीं

ऑडिट की तिथि: _____

ऑडिटर का नाम: _____

भाग-ड : प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेज़

- i. कवरींग लेटर
- ii. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
- iii. सुगम्यता ऑडिट रिपोर्ट
- iv. प्रशासनिक स्वीकृति
- v. स्वामित्व प्रमाण-पत्र
- vi. साइट प्लान
- vii. तकनीकी चित्रण
- viii. परियोजना का लागत अनुमान, जिसमें मदवार विवरण दिया गया हो।
- ix. प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति
- x. उस विभाग/संगठन के बैंक खाते का विवरण, जिसमें निधि हस्तांतरित की जाएगी।
- xi. जियो-टैग की गई रंगीन तस्वीरें (हस्तक्षेप से पहले) और स्थान/साइट के प्रमाण के लिए 02 मिनट से 10 मिनट तक का संक्षिप्त वॉक-थ्रू वीडियो आवश्यक होगा।
- xii. निधि के दोहराव न होने के संबंध में वचनबद्धता।
- xiii. यह वचनबद्धता कि प्रस्ताव आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए बाधा-मुक्त वातावरण हेतु निर्धारित समन्वित दिशानिर्देश एवं स्थान मानकों के अनुसार या समय-समय पर जारी किसी अन्य लागू दिशानिर्देश के अनुरूप है।
- xiv. सुगम्य वेबसाइट के मामले में, NIC या किसी सक्षम तकनीकी एजेंसी द्वारा तैयार प्रारंभिक लागत अनुमान, जिसमें प्रस्तावित वेबसाइट को सुगम्य बनाने का विवरण, वर्तमान में उपलब्ध सुगम्यता सुविधाएँ, प्रस्तावित अतिरिक्त सुविधाएँ तथा प्रस्तावित कार्य के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के चयन की प्रस्तावित विधि शामिल हो।
- xv. कोई अन्य दस्तावेज

भाग-च : घोषणा

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। प्रस्तावित परियोजना के लिए किसी अन्य केंद्रीय सरकारी योजना के अंतर्गत उसी कार्य हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है। कार्यान्वयन एजेंसी CBFIE दिशानिर्देशों के प्रावधानों तथा अनुदान-सहायता जारी करने संबंधी शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है।

स्थान:

दिनांक:

(हस्ताक्षर)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
कार्यालय की मुहर

चल रही परियोजना की द्वितीय/तृतीय किस्त जारी करने के लिए आवेदन प्रपत्र

भाग-क : सामान्य जानकारी

विवरण	ब्यौरा
कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	
स्वीकृति आदेश संख्या	
स्वीकृति की तिथि	
परियोजना का नाम	
परियोजना का स्थान	
स्वीकृत राशि	
जारी की गई राशि	
जारी करने की तिथि	
उपयोग की गई राशि	
उपयोग का प्रतिशत	

भाग-ख : भौतिक प्रगति

समग्र भौतिक प्रगति : _____ %

प्रमुख कार्य पूर्ण (फोटोग्राफ सहित विस्तृत विवरण):

शेष कार्य (विस्तृत विवरण):

कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि :

कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक होने की स्थिति में औचित्य:

भाग-ग : वित्तीय प्रगति

विवरण	राशि (₹)
कुल परियोजना लागत	
कुल किस्त प्राप्त (प्रथम/द्वितीय)	
किया गया व्यय	
उपलब्ध शेष राशि	
द्वितीय/तृतीय किस्त का अनुरोध	

भाग-घ : संलग्न दस्तावेज़

- i. जारी की गई सहायता अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (GFR 12-C)
- ii. व्यय का विवरण
- iii. भौतिक प्रगति रिपोर्ट
- iv. जियो-टैग की गई रंगीन तस्वीरें
- v. माप पुस्तिका का अंश
- vi. कार्य पूर्णता की स्थिति
- vii. वित्तीय विवरण
- viii. PWD/CPWD से शेष कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक शेष राशि के संबंध में मांग पत्र।
- ix. निविदा दस्तावेज़, जिसमें कुल निविदा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा निविदा मूल्य बढ़ने की स्थिति में उसका विवरण भी दिया गया हो।
- x. किए गए वास्तविक व्यय, जिसमें किसी भी अतिरिक्त व्यय को सहायक दस्तावेजों सहित शामिल किया गया हो।
- xi. कार्य पूरा करने के लिए कार्य-सारणी एवं योजना का संक्षिप्त विवरण।
- xii. बैंक विवरण
- xiii. भौतिक प्रगति एवं अगली किस्त के प्रस्ताव प्रस्तुत करने में अनुचित विलंब होने की स्थिति में विस्तृत औचित्य।
- xiv. निरीक्षण रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)

भाग-ड :

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

1. विभाग द्वारा जारी सहायता अनुदान का उपयोग केवल स्वीकृत परियोजना के लिए ही किया गया है।
2. परियोजना का कार्यान्वयन स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के अनुसार किया जा रहा है।
3. सभी खरीद सामान्य वित्तीय नियम, 2017 तथा अन्य लागू सरकारी निर्देशों के अनुसार की गई है।
4. पूर्ण किया गया कार्य लागू सुगम्यता मानकों के अनुरूप है।
5. स्वीकृत परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी निधि का उपयोग नहीं किया गया है।

कार्यान्वयन एजेंसी स्वीकृत परियोजना को जारी रखने के लिए SIPDA के CBFE घटक के अंतर्गत सहायता अनुदान की द्वितीय किस्त जारी करने हेतु विभाग से अनुरोध करती है।

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
नाम एवं पदनाम:
कार्यालय की मुहर
दिनांक:

अनुबंध-घ

जीएफआर 12-C

[नियम 239 देखें]

उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रपत्र (राज्य सरकार के लिए)

क्र. सं.	पत्र संख्या एवं दिनांक	राशि (₹)	प्रमाणित किया जाता है कि इस मंत्रालय/विभाग के हाशिए (margin) में दिए गए पत्र संख्या के तहत वर्ष
			के दौरान
			के पक्ष में स्वीकृत सहायता-अनुदान (grants-in-aid) के
			₹..... में से और पिछले वर्ष की
			बिना खर्च हुई शेष राशि के
			₹..... में से,
			₹..... की राशि का उपयोग उस
			उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था
			और ₹..... की शेष राशि जो वर्ष के अंत
			में बिना उपयोग के बची हुई है, उसे सरकार को वापस कर दिया
			गया है (पत्र संख्या
			 दिनांक
			 के माध्यम से) / जिसे अगले वर्ष
			 के दौरान देय सहायता-अनुदान के
			समक्ष समायोजित किया जाएगा।

(जहाँ व्यय केवल सरकारी निकायों द्वारा किया गया हो)

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं संतुष्ट हूं कि जिस शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत की गई थी, उनका विधिवत पालन किया गया है/किया जा रहा है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि राशि का वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था, मैंने निम्नलिखित जाँच की है :

की गई जाँच के प्रकार

1

2

3

हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

दिनांक _____
